बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 104

अधिक कीमत सही नहीं

दूरसंचार उद्योग चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और गेंद एक बार फिर दूरसंचार नियामक के पाले में है। गत सप्ताह डिजिटल संचार आयोग यानी डीसीसी (पूर्व में दूरसंचार आयोग) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कहा कि वह अगस्त 2018 की 5जी स्पेक्ट्रम अनुशंसाओं की समीक्षा करे। इसमें उस वक्त तय भारी-भरकम आरक्षित मूल्य शामिल है। डीसीसी दूरसंचार मामलों में सरकार की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है। उसने एक वर्ष पुरानी अनुशंसाओं को नियामक के पास वापस भेजकर सही किया है। ऐसा उसने शायद दूरसंचार कंपनियों की खस्ता वित्तीय हालत और समग्र रूप से कमजोर निवेश संबंधी माहौल को देखकर किया है। अब यह ट्राई पर निर्भर करता है कि वह सरकार का राजस्व बढ़ाने की इच्छा पर लगाम कैसे लगाती है। नियामक को 5जी सेवाओं के लिए बैंड नीलामी से अधिकतम राशि जुटाने के प्रयास के बजाय दूरसंचार उद्योग की सेहत पर ध्यान देना चाहिए जो 4.3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है।

यह सही है कि स्पेक्ट्रम से आने वाली राशि सरकार कठिन वित्तीय हालात से जूझ रही सरकार के लिए राजस्व जुटाने का एक बड़ा माध्यम है लेकिन ट्राई की प्राथमिक जवाबदेही यह सुनिश्चित करना है कि भारी-भरकम बोली लगाकर उद्योग जगत की स्थिति आगे और खराब नहीं हो तथा प्रतिस्पर्धा का तत्त्व बरकरार रहे। सन 1997 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित ट्राई का घोषित लक्ष्य है दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए उचित माहौल तैयार करना। इससे भी अहम बात यह है कि इसे एक साफ-सुथरा और पारदर्शी नीतिगत माहौल मुहैया कराना होता है जो समान कार्य क्षेत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर दे। ट्राई को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

ट्राई द्वारा इस वर्ष आगामी नीलामी के लिए तमाम फ्रीक्वेंसी बैंड में अनुशंसित स्पेक्ट्रम के मौजूदा आरक्षित मूल्य की बात करें तो इससे सरकार को 5.83 लाख करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है लेकिन दूरसंचार कंपनियां पहले ही शुल्क को लेकर लड़ाई में उलझी हुई हैं। रिलायंस जियो के आगमन और उसकी उथल-पुथल मचा देने वाली कीमतों के बाद अगर स्पेक्ट्रम कीमतों को कम नहीं किया गया तो कंपनियों की आय में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत में स्पेक्ट्रम की कीमत पहले ही विश्व स्तर पर ऊंची कीमतों में शुमार है। हालिया सुदृढ़ीकरण के कारण दूरसंचार क्षेत्र तीन कंपनियों वाला बन गया है जबकि एक समय 10 से अधिक कंपनियां कारोबार में थीं। अगर भविष्य में फिर ऐसा सुदृढ़ीकरण होता है तो दूरसंचार उद्योग में प्रतिस्पर्धा ही समाप्त हो जाएगी। हम उस स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं।

सन 2010 में दूरसंचार कंपनियों द्वारा आक्रामक बोली प्रक्रिया इस उद्योग के पराभव की शुरुआत थी। सन 2016 तक जब दूरसंचार कंपनियां कर्ज में डूब चुकी थीं, उन्होंने प्रतिरोध करने का प्रयास किया। स्पेक्ट्रम की नीलामी महज पांच दिन में समाप्त हो गई। सरकार बिक्री के लिए उपलब्ध 5.63 लाख करोड़ रुपये के आधार मूल्य वाले स्पेक्ट्रम के बदले केवल 65,789 करोड़ रुपये जुटा सकी। अगर कंपनियां अपनी बात पर कायम रहीं तो आगामी नीलामी 2016 का दोहराव होगी। दो प्रमुख कंपनियां भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने कहा है कि वे 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज की मौजूदा आरक्षित कीमत पर 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगी। दूरसंचार उद्योग के अनुमान के मुताबिक अनुशंसित आधार मूल्य दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बाजार की कीमतों से 30-40 फीसदी ज्यादा है। अगर कीमतों को कम नहीं किया गया और दो बड़ी कंपनियों ने बोली में हिस्सा नहीं लिया तो दूरसंचार क्षेत्र में समानता का अंत हो जाएगा। सरकार और ट्राई दोनों को जवाबदेही से काम करना चाहिए।

विनय सिन्हा

एनबीएफसी संकट को बेकार नहीं जाने दें

एनबीएफसी में व्याप्त संकट में हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है म्युचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका। इन एजेंसियों ने अत्यंत खराब स्थिति वाली कंपनियों को उच्चतम रेटिंग प्रदान की। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **देवाशिष बसु**

बीते नौ महीनों में चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) मसलन दीवान हाउसिंग ऐंड फाइनैंस (डीएचएफएल), इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) तथा अनिल अंबानी समूह की कुछ कंपनियों की हालत खस्ता रही है। इसकी वजह से वित्तीय क्षेत्र में तमाम उथलपुथल मची। शेयर बाजार का एक हिस्सा भी इससे प्रभावित हुआ। बैंकों और म्युचुअल फंड को इसलिए तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने इन संकटग्रस्त वित्तीय कंपनियों को ऋण दिया। यह संकट कितना गहरा है और इससे क्या सबक निकलते हैं? पहली बात जो हमें पता है वह यह कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय कंपनियों को ऋण देने के मामले में आगे हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। यह एक समय सरकारी बैंकों में सबसे बेहतर माना जाता था लेकिन अब यह फंसे हुए कर्ज का पोस्टर बॉय बन चुका है।

दूसरी बात जो हमें पता है, वह यह है कि यह संकट सन 1980 और सन 1990 की तरह समूचे एनबीएफसी क्षेत्र को नष्ट नहीं कर रहा है। उस दौर में दर्जनों लीजिंग और फाइनैंस कंपनियां, जिनमें से कई छोटी कंपनियां शामिल थीं, उनका रातोरात दिवाला निकल गया था। बीते वर्षों के दौरान वित्तीय कंपनियों के नियमन में काफी सुधार हुआ है और उनमें से अधिकांश का नेतृत्व बेहतर कॉर्पोरेट प्रबंधकों के हाथ में है। यही कारण है कि केवल तीन एनबीएफसी ही मौजूदा संकट की शिकार हुई हैं। इन तीनों मामलों में संकट इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रबंधन अतिमहत्त्वाकांक्षी था और उसने येनकेन प्रकारेण पूंजी, ऋण पुस्तिका और मुनाफा बढ़ाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए तो आपको बजाज फाइनैंस, चोलामंडलम फाइनैंस, श्रीराम फाइनैंस, एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज (एचडीएफसी बैंक की खुदरा फाइनैंस कंपनी), पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स और एलआईसी हाउसिंग आदि इसके असर से पूरी तरह सुरक्षित हैं। गत वर्ष उनके मुनाफे और ऋण की गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ। केवल चंद वित्तीय कंपनियां नुकसान में हैं जिन्होंने बिना जांच परख के अचल संपत्ति क्षेत्र की कंपनियों को ऋण दिया और इन कंपनियों ने पैसे की हेरफेर की। ये कंपनियां और आईएलऐंडएफएस, जो स्वयं में एक श्रेणी है, इनका व्यवस्थित ढंग से नकदीकरण करने की आवश्यकता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक का कहना सही है कि यह शैडो बैंकिंग का संकट नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है जो चुनिंदा फर्म तक सीमित है।

मैं बहुत अधिक जोर नहीं दे सकता क्योंकि समझदार लोगों की ओर से बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं तथा नीतिगत उपाय सुझाए जा रहे हैं। एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए फाइनैंस कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज के मालिक और श्रीराम समूह की दो कंपनियों के हिस्सेदार अजय पीरामल ने कहा कि आरबीआई विशेष फंड की व्यवस्था कर सकता है जो एनबीएफसी को ऋण दे सके। या जो नुकसान का पहला झटका सहे। उदाहरण के लिए वह 10 फीसदी ऋण का बोझ सहन कर बैंकों से एनबीएफसी को और अधिक ऋण देने को कह सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आरबीआई एनबीएफसी को अल्पावधि के प्रपत्र पर ऋण देने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल भी तैयार कर सकता है। इसके अलावा बाह्य वाणिज्यिक उधारी का सहारा भी है। आज सस्ती आवास वित्त कंपनियां भी इनसे पैसे जुटा सकती हैं। क्या आरबीआई समूचे अचल संपत्ति क्षेत्र में ऐसा कर सकता है?

अगर पीरामल कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोगों को पता नहीं है, तब तो ठीक है, वरना आरबीआई द्वारा शुरुआती 10 फीसदी का बोझ वहन करने की सलाह अतिवादी प्रतीत होती है। अब तक आरबीआई ने दूरी बनाए रखी है और कहा है कि किसी विशेष सहयोग की आवश्यकता नहीं है। पीरामल को दरअसल करना यह चाहिए कि बिना किसी चर्चा के खराब कारकों को तंत्र से बाहर करना चाहिए और इस दौरान उनकी बेहतर परिसंपत्तियों का चयन करके अपने वित्तीय परिचालन को मजबूत करना चाहिए। ऐसा करके ही तंत्र की सफाई की जा सकती है और उसे मजबूत बनाया जा सकता है। बैंकों को खराब कंपनियों को अधिक ऋण देने को कहकर इसमें सुधार नहीं हो सकता।

कौन से बैंक अधिक ऋण देंगे? बेहतर निजी बैंक पहले ही अच्छी परिसंपत्तियों का चयन करने में लगे हुए हैं। जब हम कहते हैं कि बैंकों को अधिक ऋण देना चाहिए तो यह सरकारी बैंकों का जिक्र होता है। बीते 40 वर्ष में ये बैंक भ्रष्ट और अक्षम ऋण वितरण के कारण करोड़ों रुपये गंवा चुके हैं।

तमाम लाभ चुनिंदा गड़बड़ी करने वाले प्रवर्तकों के हाथ लगने के बाद नुकसान को समाजवादी अंदाज में साझा करना पूंजीवादी तंत्र के काम करने के तौर तरीकों से एकदम उलट है। अगर हमें प्रोत्साहन भी चाहिए तो भी पहला कम होगा मौजूदा प्रवर्तकों से निजात पाना और उनकी जगह पेशेवरों की मदद लेकर कंपनी का बेहतर से बेहतर मूल्य हासिल करना। ठीक वैसे ही जैसा सरकार ने आईएलऐंडएफएस के साथ किया। परंतु देश के सरकारी बैंक नरेश गोयल तक को समय पर निकालने में नाकाम रहे और जेट एयरवेज डूब गई। ऐसे में एनबीएफसी के लिए समझदारी भरी प्रोत्साहन योजना दिवास्वप्न ही है।

वास्तविक सबक

इस संकट का मुख्य सबक है म्युचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका। इन्होंने खराब प्रपत्र पर अधिकतम रेटिंग प्रदान की। दोनों का नियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। उसे इन दोनों से सख्ती बरतनी चाहिए। सन 2017 में तेजड़िए और फंड उद्योग म्युचुअल फंड के प्रचार के बाद लोगों से आने वाली आवक को संभाल नहीं सके। इससे निवेश की गुणवत्ता गिरी। बहरहाल, जिस प्रकार समुद्र कचरे को बाहर फेंक देता है वैसे ही बाजार ने तेजी के दिनों में म्युचुअल फंड द्वारा लाचार ग्राहकों को बेची गई खराब परिसंपत्तियों को खारिज कर दिया। अगर सेबी समुचित कदम नहीं उठाता है और नियमन में बदलाव नहीं करता है तो यह बार-बार होगा। इस संकट को आधे-अधूरे उपायों से जाया नहीं किया जाना चाहिए और समुचित हल निकाला जाना चाहिए।

कचरे का कारोबार और गरीबी की मार

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

मेरी नजर कचरे के एक विशाल ढेर पर है जो बाकी कचरे से अलग है। यह कचरा मेरे, आपके और हम जैसे अनगिनत लोगों के घरों से आया है। इसे छांटा गया है, अलग किया गया है और इससे एक अलग तरह का ढेर लग गया है। मैं दिल्ली के टिकरी कलां में हूं जिसे एशिया का सबसे बड़ा थोक कचरा बाजार कहा जा सकता है। जाहिर तौर पर यह जगह शहर के बाहरी इलाके में है क्योंकि हम सभी अपना कचरा नजरों से दूर रखते हैं। तभी तो वह हमारे जेहन से भी दूर रहता है। इसके बाद हम उस बाजार में जाते हैं जो बहादुरगढ़ में स्थित है। यह दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का इलाका है। यहां भी छंटे और बिना छंटे कचरे के ढेर लगे हैं। दिल्ली का बाजार कुछ हद तक औपचारिक है क्योंकि इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जमीन मुहैया कराई है। हरियाणा का बाजार कृषि भूमि पर स्थित है।

मैं किसानों से पूछती हूं कि उन्होंने अपनी जमीन कचरे के कारोबार के लिए क्यों दी? वे हमारा ध्यान उस विकास की ओर दिलाते हैं जिसका नाम मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट है और जो उनके खेतों के करीब स्थित है। रिवर्स बोरिंग (जमीन में गहरे गड्ढे कर अपना कचरा दफन करना) के कारण इस औद्योगिक क्षेत्र से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा किसानों की खेती की जमीन में मिलता है। यहां का भूजल रसायनों से संक्रमित हो गया है। अब यहां खेती संभव नहीं है। हम यहां ढेरों चिमनियां और उनसे निकलता धुआं देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि हमें सबूत दीजिए और हम उन औद्योगिक इकाइयों को बंद कर देंगे जो रिवर्स बोरिंग करती हैं। दरअसल वे असल सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते। खेतों के करीब और फैक्टरियों से वापस आते समय हम महसूस कर सकते हैं कि किस कदर बदबू और गंदगी फैली हुई है। हरियाणा सरकार ने व्यवस्था की है कि उसके प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी पांच साल में एक बार ही किसी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण कर सकते हैं।

जाहिर है वह चक्र पूरा हो चुका है। इसे हमारे समय की विकृत चक्रीय अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। हम कचरा उत्पन्न करते हैं, जमीन और अपनी आजीविका को नष्ट करते हैं, उसके बाद गरीबों को कोई विकल्प देने के बजाय हम उसी कचरे का कारोबार शुरू करते हैं जिसे हमने उत्पादित किया और फेंका है।

मैं वहां पर्यावरण प्रदूषण (निरोध एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के चेयरमैन के साथ गई थी क्योंकि मैं समझना चाहती थी कि कचरे को खुले में जलाए जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले जब चेयरमैन भूरे लाल ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तो उन्हें टिकरी और मुंडका प्लास्टिक फैक्टरी में बहुत बड़े पैमाने पर (यह कम करके बताया गया) कचरा मिला था। उन्होंने इस कचरे को हटाने और नियंत्रित रूप से जलाने के लिए एक ऊर्जा संयंत्र ले जाने का निर्देश दिया था। इससे पिछले जाड़ों में बहुत अधिक फर्क पड़ा था।

बताया गया कि इस बार खुले में बहुत कम कचरा था। कारोबारियों ने हमें बताया कि कचरा भी एक संसाधन है। वे उसे यूंही जलाए जाने नहीं दे सकते। परंतु सच यह भी है कि कचरे का एक प्रकार ऐसा भी है जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। हम जैसे तमाम लोग जो जूते खरीदते हैं, उनके लिए एक जानकारी यह है कि जूतों का ऊपरी हिस्सा दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उसे जलाना पड़ता है। ऐसी तमाम अन्य चीजें भी हैं। उदाहरण के लिए बहुस्तरीय प्लास्टिक, हर बार जब हम प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद चीजें खाते हैं तो हम ढेर सारा प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं।

इसमें भी दो राय नहीं है कि टिकरी और बहादुरगढ़ जैसे ये बाजार जहां सबसे गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, उनके चलते ही आज हम सब शहरों में रहने वाले कचरों के ढेर में डूबने से बचे हुए हैं। ये बाजार गरीबों के श्रम पर आधारित होते हैं। ये गरीब हमारे कचरे को छांटते हैं, उसमें से किसी भी कीमत वाली चीज को अलग करते हैं और उसे प्राथमिक संग्राहक को बेच देते हैं। वह उसे आगे बेचता है और यह सिलसिला चलता रहता है। यह अनौपचारिक कारोबार है लेकिन बहुत संगठित तरीके से काम करता है। मुझे बताया गया कि इस बाजार में कचरे से 2,000 उत्पाद छांटे जाते हैं और इनकी कीमत 5 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। इसके कारोबारी जीएसटी चुकाते हैं। पहले सरकार ने 18 फीसदी जीएसटी लगाया था जिसे अब घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। सरकार इस कारोबार से भी आय अर्जित करती है। इसका समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि यह कचरे से संसाधन बनाता है और हमारे आसपास कचरे के ढेर लगने से बचाता है। हमें इस कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। परंतु हम मानते हैं कि इसे गंदा माना जाता है। नगर निगम कचरा डालने के लिए जमीन दे देंगे लेकिन उसके पुनर्चक्रण के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारे शहरी नियोजन में कबाड़ की दुकानों के लिए कहीं जगह नहीं है।

यह ऐसा मुद्दा है जो मुझे खाए जाता है। इस कचरे के प्रबंधन का सही मॉडल क्या होना चाहिए? क्या हमें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यह कारोबार गरीबों को आजीविका मुहैया कराता है इसलिए यह बेहतर है? इसका अर्थ यह होगा कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल करें और उन्हें रद्द करते चलें। क्या यही भविष्य की राह है? मैं यह सवाल केवल टिकरी के संदर्भ में नहीं कर रही बल्कि यह हमारे आसपास की पूरी दुनिया से जुड़ा सवाल है। चीन द्वारा अपने दरवाजे विदेशी कचरे के लिए बंद किए जाने के बाद पुनर्चक्रण करने वालों ने अपना कचरा बेचने के लिए विभिन्न देशों की तलाश शुरू कर दी। क्या यह हमारी कचरा समस्या का हल है? यकीनन नहीं। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे।

कानाफूसी

जल संकट

चेन्नई में सड़क के किनारे खड़े होकर हल्का-फुल्का खाना अब बीते दिनों की बात हो गई है। शहर में जल संकट बढ़ने के साथ ही छोटे रेस्तरां और खानेपीने के अन्य ठिकानों में अब पूरा भोजन मिलना बंद हो गया है। चेन्नई होटल ओनर्स एसोसिएशन के एक निर्णय के बाद ऐसा किया गया। शहर में सड़क के किनारे चलने वाले इन रेस्तरां के मालिकों के इस संगठन का कहना है कि इडली और डोसा जैसे स्नैक्स जिनमें काफी कम पानी की आवश्यकता होती है, उनकी बिक्री जारी रह सकती है लेकिन सांभर और रसम के साथ पूरा भोजन अब शायद नहीं परोसा जाएगा क्योंकि पूरा भोजन बनाने में काफी पानी की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी तादाद में बर्तन साफ करने की समस्या से भी निजात मिलेगी। चेन्नई में 12,000 लीटर पानी की लॉरी जो इस माह के आरंभ में 1,800 रुपये की थी वह पहले 2,500 रुपये की हुई और अब वह 5,000 रुपये की हो चुकी है।

वाम दलों का एकीकरण

देश की राजनीतिक बहसों में एक सनातन बहस यह भी है कि आखिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एक कब होंगी? इस वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद भाकपा ने एक बार फिर माकपा से संपर्क करके एकीकरण की बात कही। इन दोनों दलों में माकपा का आकार बड़ा है लेकिन मौजूदा लोकसभा में उसके केवल तीन सांसद हैं जबकि भाकपा के दो सांसद इस बार लोकसभा में हैं। भाकपा के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने हाल ही में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की और एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें एक पत्र सौंपा। माकपा ने यह पत्र केंद्रीय समिति की बैठक में वितरित किया लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। भाकपा को उम्मीद है कि कम से कम माकपा के कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व पर एकीकरण के लिए दबाव बनाएगा। माकपा का गठन सन 1964 में भाकपा से निकले कुछ नेताओं ने ही किया था।

आपका पक्ष

स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करे सरकार

पश्चिम बंगाल के डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों को अपनी मांगों के समर्थन में पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। देश के कई राज्यों के डॉक्टर पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। इससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज इलाज नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं। पूरे देश के डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सिर्फ आपातकालीन सेवा ही चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के भी डॉक्टरों ने हड़ताल का समर्थन किया है तथा एक दिन कार्य बहिष्कार का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक एम्स के डॉक्टर एसोसिएशन ने पहले हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। लेकिन एक जूनियर डॉक्टर पर हमले के बाद हड़ताल का समर्थन कर दिया। डॉक्टरों पर हमले तथा उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। किसी राज्य में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में तथा डॉक्टरों को मनाने में नाकाम रही है। अब देश के कई राज्यों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अत: केंद्र सरकार को पहल कर डॉक्टरों की उचित व्यवस्था करके हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार के कारण कई बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक दिमागी बुखार का कोई इलाज नहीं निकल पाया है। केवल सावधानी ही इस बीमारी से बचने का उपाय है। सरकार को बिहार में बच्चों की हो रही मौत को रोकने के लिए खास इंतजाम करने चाहिए। बिहार में हर साल दिमागी बुखार के कारण काफी बच्चे मौत की गोद में सो जाते हैं। सरकार को बच्चों के इलाज में खास ध्यान देना चाहिए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में पूरे देश के डॉक्टर एकजुट हो रहे हैं

मॉनसून आया पर गर्मी से राहत नहीं

मॉनसून केरल तट पर दस्तक देने के बाद ठहर गया है। हाल में गुजरात में आए वायु तूफान ने मॉनसून को प्रभावित कर दिया है। इससे मॉनसून मध्य भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात तक नहीं पहुंच पाया है। इससे मॉनसूनी बारिश में कमी आई है तथा बिहार, झारखंड तथा ओडिशा में तेज गर्मी पड़ रही है। बिहार में लू चल रही है जिससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की सुस्त रफ्तार के कारण 43 प्रतिशत बारिश में कमी आई है। देश के कई राज्यों में बारिश नहीं होने के कारण तेज गर्मी पड़ रही है तथा लू चल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। बारिश नहीं होने का खमियाजा किसान, व्यापारी तथा बाजार को भुगतना पड़ रहा है। बारिश की कमी के कारण खेतों में बुआई नहीं हो रही है। अनाज, सब्जी तथा खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं। पशुओं को चारा नहीं मिलने के कारण दूध उत्पादन कम हो गया है। एक गाय जहां 6 से 10 लीटर दूध देती थी अब 3 से 4 लीटर ही दूध दे रही है। दूध कंपनियों ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।